

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 1136/2024

अनवान : -

1. श्याम सुन्दर पुत्र आत्माराम पुत्र माणकचन्द जाति माहेश्वरी निवासी नोहर हाल कोलकता बंगाल ।

- वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 07/1/2025


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 74/73 के ख0न0 149 की कुल तादादी 2.4030 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के दादा माणकचन्द पुत्र राधाकिशन के नाम दर्ज है।

उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में माणकचन्द पुत्र राधकिशन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है। माणकचन्द पुत्र राधकिशन का स्वर्गवास हो चुका है। अ माणकचन्द पुत्र राधकिशन के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमबांदी रोही मौजा चक राजासर सम्वत 2072-75 खाता स0 74/73, मृत्यु प्रमाण पत्र माणकचन्द पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर



प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।


बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में माणकचन्द पुत्र राधकिशन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है। माणकचन्द पुत्र राधकिशन का स्वर्गवास हो चुका है। माणकचन्द पुत्र राधकिशन के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 74/73 के ख0न0 149 की कुल तादादी 2.4030 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के दादा माणकचन्द पुत्र राधाकिशन के नाम दर्ज है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में माणकचन्द पुत्र राधाकिशन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है। माणकचन्द पुत्र राधाकिशन का स्वर्गवास हो चुका है। माणकचन्द पुत्र राधाकिशन के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी है। वादी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक माणकचन्द के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 74/73 के ख0न0 149 की कुल तादादी 2.4030 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में से माणकचन्द पुत्र राधाकिशन का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 1136/2024

अनवान : -

1. श्याम सुन्दर पुत्र आत्माराम पुत्र माणकचन्द जाति माहेश्वरी निवासी नोहर हाल कोलकता बंगाल ।

- वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1136 सन 2024 निर्णय दिनांक 07/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स० 74/73 के ख०न० 149 की कुल तादादी 2.4030 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में से माणकचन्द पुत्र राधाकिशन का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर